कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था.निर्वा.) जिला हरदा

(deohardalc@gmail.com)

क्रमांक /292/371/स्था.निर्वा./2018 हरदा दिनांक 16/05/2018

:: निविदा सूचना ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्थानीय निर्वाचन शाखा जिला हरदा मे निर्वाचन से संबंधित निष्प्रयोजित गोपनीय कागजातों की श्रेडिंग द्वारा टुकडे कर विक्रय किया जाना है जिसका सफेद रंग के कागज का अनुमानित वजन 07 से 08 क्विंटल ,भूरा रंग के कागज का वजन 02 से 03 क्विंटल एवं अन्य रंग के कागज जिसका वजन 01 क्विंटल अथवा कम या अधिक भी हो सकता है ।

अतः रददी कागज के व्यापारियों एवं मीलों के अधिकृत व्यापारियों से जो कि उपरोक्तानुसार रददी कागज क्रय करना चाहते है । वे अपनी सीलबंद निविदायें दिनांक 25/05/2018 तक अपरान्ह 3:00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन शाखा कक्ष क्रमांक 31) जिला हरदा मे प्रस्तुत कर सकते है ।

निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदाकारों के समक्ष उसी दिनांक अर्थात 25/05/2018 को सायं 4:30 बजे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जावेगी ।

निविदा प्रारूप,शर्ते एवं अन्य जानकारियां इस कार्यालय से कार्यालयीन समय मे दिनांक 25.05.2018 तक राशि रूपये 200/– दो सौ रू.मात्र जमा कर प्राप्त की जा सकेगी । निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के नियत प्रारूप पर ही स्वीकार की जावेगी । इसके साथ ही जिले वेबसाईट www.harda.nic.in से भी आवेदन पत्र व अन्य जानकारी डाउनलोड की जा सकेगी । डाउनलोड किये गये आवेदन के साथ साथ 200/– (दो सो रूपय) का डी. डी. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) हरदा के नाम से देय होगा,संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(कलेक्टर महो.हरदा द्वारा अनुमोदित)

(प्रियंका गोयल)
संयुक्त कलेक्टर
जिला हरदा

पृ.क्र./293/371/स्था.निर्वा./2018 हरदा दिनांक 16/05/2018

प्रतिलिपि :–

01.सचिव,मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

02.आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन बाणगंगा रोड,भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर तीन समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

03.आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

04.कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला............................की ओर प्रेषित । कृपया अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें ।

05.अनुविभागीय अधिकारी सर्व जिला हरदा की ओर सूचनार्थ । अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें ।

06.तहसीलदार सर्व जिला हरदा की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु प्रेषित ।

07.डी.आई.ओ. एन.आई.सी हरदा की ओर प्रेषित कर लेख है कि हरदा जिले की बेबसाईट पर उक्त निविदा दर्ज करावे।

संयुक्त कलेक्टर
जिला हरदा

निविदा शर्तें :-

01. प्रत्येक निविदा सील बंद लिफाफे में हो, लिफाफे पर स्वच्छ अक्षरों में ''गोपनीय प्रतिबंधित मिसलेनियस रद्दी कागजों की दरे'' लिखा होना चाहियें ।
02. प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ 15,000/- (पंद्राह हजार रू.) की एफ.डी.(राष्ट्रीयकृत बैक की) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला हरदा के नाम से प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना होगा । अन्यथा निविदा मान्रू नहीं की जावेगी ।
03. जो निविदायें निर्धारित प्रारूप में निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त होगी, केवल उन्ही पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा ।
04. सफल निविदकार को स्वयं के खर्च पर ढुलाई व अन्य कार्य कराना होगा ।
05. कार्यालय द्वारा दी गई छोटी बडी जैसी भी कतरन होगी,वह उसे उठाना होगी । इसके अतिरिक्त यदि कुछ कागज जो कि श्रेडिंग नहीं हो सके उन्हे उठाने से पूर्व स्वयं के खर्च से श्रेडिंग कराना हीं जो नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कलेक्टोरेट परिसर में ही श्रेडिंग करना होगी ।
06. सफल निविदाकार को रद्दी कागज तोलने के लिए शासन द्वारा मान्य बाजार में प्रचलित तराजू (कांट-बाट) अथवा इलेक्ट्रानिक तोल काटे की व्यवस्था करना होगीं लीवर वाली तराजू स्वीकार नही की जावेगी ।
07. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण दर्शाये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला हरदा को होगा । इस संबंध मे कोई कानूनी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा ।
08. निविदा की दरें समान होने एवं उचित दरें प्राप्त न होने पर निगोशिएशन कर दरें स्वीकृत की जावेगी, जो समान दर वाले निविदाकारों को मानना होगा ।
09. निगोशिएशन उपरांत उचित दरें प्राप्त नही होने की दशा में निविदाऐं अस्वीकृत कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला हरदा का रहेगा । जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगीं ।
10. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति व स्वीकृत दर से लिखित मे सूचना देकर अवगत कराया जावेगा । तथा सूचना में उल्लेखित अवधि के अन्दर श्रेडिंग कर रद्दी तुलाई कर उठाना होगी ।
11. सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि मे रद्दी न उठाने पर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी एवं दूसरे क्रय निविदाकार को माल सौंपा जावेगा तथा जो हानि होगी उसकी भरपाई प्रथम सफल निविदाकार से बतौर भू राजस्व वसूल की जावेगी ।
12. निविदा में सम्मिलित होने वाली असफल फर्मो को जमा अमानत राशि जब तक वापस नही की जावेगी जब तक की सफल निविदाकार विकित माल का उठाव नही कर लेता ।
13. स्वीकृत दर मार्च 2019 तक मान्य होगी ।
14. किसी भी विवाद की स्थिति मे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला हरदा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी ।
15. इस कार्यालय से क्रय की गई रद्दी का उठाव करने के उपरांत संबंधित फेक्ट्री से रद्दी गलाई जाने का प्रमाण पत्र सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

संयुक्त कलेक्टर
जिला हरदा